POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 01.09.2026

जमीनी विवाद में मार-पीट कर लूट का प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से कुल 48,000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 चाकू व अन्य सामान बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवराज का पूरा निवासी परमानन्द मिश्र पुत्र स्व० उमाशंकर मिश्र दिनांक 31.08.2026 की शाम थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत नेवादा स्थित 'बैंक ऑफ बड़ौदा' जनसेवा केंद्र पर कार्य कर रहे थे कि इसी दौरान जनसेवा केन्द्र संचालक के चचेरे भाई अभियुक्त पीयूष मिश्र पुत्र रमाशंकर मिश्र जनसेवा केंद्र में घुसकर मुकदमा वादी (पीड़ित) से कहासुनी तथा मार-पीट करते हुए जनसेवा केंद्र में रखे लगभग ₹48,000 लूटने का प्रयास किया। थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पीयूष मिश्रा को पुलिस हिरासत में लेकर प्रकरण में मुकदमा वादी परमानन्द मिश्र द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक-01.09.2026 को मु0अ0सं0-113/2026 धारा-309(2)/317(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त गंगानगर

व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर जोन के थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-113/26 धारा-309(2)/317(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त पीयूष मिश्रा पुत्र रमाशंकर मिश्रा निवासी देवराज का पूरा थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से कुल 48,000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 चाकू व अन्य सामान बरामद कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वादी मुकदमा व अभियुक्त चचेरे भाई है, जिनके मध्य पूर्व का जमीनी विवाद को लेकर रंजिश है। अभियुक्त पीयूष मिश्रा उपरोक्त अपने चचेरे भाई परमानन्द के जनसेवा जनसेवा केंद्र पर गया था, जहां अभियुक्त पीयूष मिश्रा द्वारा वादी मुकदमा से कहा-सुनी व मार-पीट की जाने लगी, जिस पर वादी मुकदमा द्वारा दरवाजा बन्द कर दिया गया था, जिसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा वहां पर रखे करीब 48,000/- रूपये अपने बैग में भर लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पीयूष मिश्रा पुत्र रमाशंकर मिश्रा निवासी देवराज का पूरा थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-113/26 धारा-309(2)/317(2) भा0न्या0सं0 थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

* कुल 48,000/- रूपये।
* घटना में प्रयुक्त 01 चाकू व अन्य सामान्य।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. हे0मु0 अनुराधा कुमार, थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. रि0का0 अतुल भारती, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।